

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 417401  
ग्रा0वि0-15- स्वच्छता- 18/2016 (खंड)

पटना, दिनांक :- 19/3/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरांत आधार आधारित (AadharLinked) प्रोत्साहन राशि भुगतान प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत IHHL के प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया एवं प्रगति की समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 20.03.2019 से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरांत आधार आधारित (Aadhar Linked) प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। अतः इसके लिए अब संबंधित IHHL लाभार्थियों का आधार संख्या एवं मोबाईल नम्बर को LSBA-MIS पर दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस प्रकार पूर्व निर्धारित प्रोत्साहन राशि की भुगतान प्रक्रिया अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा सिंगल पेज इंट्री के पेज पर संबंधित IHHL लाभार्थी का मोबाईल नम्बर, वार्ड नम्बर एवं आधार संख्या की प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा। इस नई प्रक्रिया में IHHL लाभार्थियों का बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड से संबंधित सूचना एकत्रित नहीं की जाएगी ।


डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा आधार संख्या प्रविष्टि के समय दर्ज आधार संख्या का स्वतः Demographic verification होने पर ही यह प्रविष्टि BDO Login में Payment हेतु उपलब्ध होगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा Payment Page पर उपलब्ध विवरणी का मिलान कर डिजिटल सिग्नेचर (DSC) के माध्यम से Payment File Generate किया जायेगा ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा DSC के माध्यम से Approve किये गये पेमेंट फाइल के आधार पर सीधे (DBT) संबंधित लाभार्थियों के आधार से Linked बैंक बचत खाता में प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जायेगा। सभी संबंधित IHHL लाभार्थियों को आधार से Linked बैंक खाता में भुगतान उपलब्ध कराये जाने या उनके आधार संख्या से कोई बैंक खाता Linked नहीं होने की सूचना SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

IHHL के वैसे लाभार्थी जिनका कोई भी बैंक खाता उनके आधार से Linked नहीं है, की सूची पुनः डाटा इंटी ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker के लॉगिन में उपलब्ध होगा, ऐसे लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। संबंधित IHHL लाभार्थी द्वारा बैंक अकाउंट को आधार से Linked कराये जाने की सूचना के उपरांत डाटा इंटी ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा पुनः बिना कोई मोडिफिकेशन किये प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु आधार एवं मोबाईल संख्या के अनिवार्यता संबंधित निदेश एवं अग्रेतर प्रक्रिया का अनुपालन सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

  
(अरविन्द कुमार चौधरी)  
सचिव

ज्ञापांक \_\_\_\_\_


पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष / निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री अभिषेक पराशर, DGM& RH, ICICI बैंक, Zonal Office, एस०के०पुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, Senior Technical Director, NIC पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- मिशन निदेशक / राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सचिव।